न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 73/2015, जी.सी.एम.एस. नं. 2015/00237

1. नेमीचंद पुत्र सुक्काराम व मु. गुलकन्दी
2. गणगौरी } पुत्रीयां सुक्काराम व मु. गुलकन्दी
3. सरस्वती

} समस्त जाती माली निवासी नंगला बस स्टेण्ड, भुसावर, जिला भरतपुर राज0।

अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 05/2015 निर्णय दिनांक 18.05.2015)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार

28.10.21

निर्णय दिनांक 28.10.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 05/2015 निर्णय दिनांक 18.05.2015 न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से दावा बाबत् इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. 883 रकबा 0.23 है0 ग्राम असरो पटवार हल्का भूडा तहसील टोडाभीम में स्थित है। उक्त आराजी की वर्तमान में खातेदारी के कॉलम में मृतक धनीराम पुत्र सूखा माली का नाम दर्ज है। आराजी ... मद नं. 1 वादपत्र की खातेदारी मृतक धनीराम के नाम दर्ज है ... का मामा लगता है। धनीराम लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उसने अपने पीछे अपने वारिस के एक मात्र बहन गुलकन्दी को छोडा था जिसका देहांत सन् 2013 में हो चुका है तथा गुलकन्दी के हम अपी0/वादीगण एक मात्र कानूनी वारिस है तथा उसके तर्क पर काबिज है। अपी0/वादीगण द्वारा अपने मामा धनीराम का दाहसंस्कार किया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

धनीराम की पगडी भी अपी0/वादी नम्बर 1 के बंधी थी तथा अपी0/वादीगण की माँ गुलकन्दी की मृत्यु के बाद धनीराम के एक मात्र वारिस के रूप में अपी0/वादीगण ही है। अपी0/वादीगण उक्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम कराने के मुस्तहक है। उक्त आराजी पर अपी0/वादीगण काबिज एवं दखील है एवं बिना बिघ्न बाधा के मामा धनीराम के जीवित रहते उनके साथ तथा उनके मरने के बाद काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी काश्त करते चले आ रहे है। अपी0/वादीगण द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम कराने तथा अपने मृतक मामा धनीराम का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने के लिये तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार द्वारा आज दिन तक नामान्तरकरण नहीं खोला गया है। दिनांक 12.01.2015 को पटवारी हल्का से मिले तो उन्होंने अदालत से आदेश लाने को कहा इस पर अपी0/वादीगण पुनः तहसीलदार से मिले तथा खातेदारी करने को कहा तो उन्होंने खातेदारी करने से मना कर दिया तथा धमकी दी कि उक्त भूमि को मैं सिवायक सरकार के नाम दर्ज करवा दूंगा। अतः दावा अपी0/वादीगण खिलाफ रेस्पों0/प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावें कि आराजी ख.नं. 883 रकबा 0.23 है0 ग्राम असरो तहसील टोडाभीम जिला करौली का अपी0/वादीगण खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपी0 का दावा खारिज होने से अपी0/सायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2015 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2015 को आदेशिका में अंकित किया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट पेश हुयी, रिपोर्ट के अनुसार वादीगण मृतक धनीराम पुत्र सुखा कौम माली के वारिसान नहीं है तथा मृतक धनीराम के परि[illegible] नहीं था, इसलिये दावा खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] बुलाये बिना ही दावा खारिज करके कानूनी भू[illegible] है। आराजी [illegible] 883 रकबा [illegible].23 है0 ग्राम असरो, पटवार हल्का भूडा तह[illegible] जो अपी0 के मामा धनीराम के नाम दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पर किसका कब्जा हैं तथा कौन काश्त कर रहा हैं, तहसीलदार की रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बावजूद भी दावा खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने तथाकथित रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास कर, बिना साक्ष्य लिये, बिना जिरह का मौका दिये सरसरी तौर पर दावा खारिज करके कानूनी भूल की है। अपी0 खातेदार धनीराम की बहन गुलकन्दी के पुत्र व पुत्रीयां है तथा मृतक धनीराम के एक मात्र वारिस है। धनीराम की पगडी किसके बंधी इसका रिपोर्ट में अंकन नहीं होने के बावजूद भी दावा खारिज करके अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने न तो निर्णय पृथक से लिखाया है और न ही दावा खारिज की डिक्री बनायी है। रिपोर्ट कर्ता की उक्त मुकदमा में एक तरफा कार्यवाही की गयी है, उनके द्वारा ना तो कोई जबाव दिया है, और ना ही पत्रावली पर ऐसी साक्ष्य पेश की है। जिससे अपी0 को सुनवाई का अवसर ही नहीं मिला है। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक पेरोकार सरकार ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त विवादित आराजीयात मृतक धनीराम पुत्र सूखा कौम माली सा. टोडाभीम के नाम दर्ज है। मृतक धनीराम पुत्र सूखा जाती माली के परिवार–रिश्तेदार में कोई वारिस नहीं है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपी0 व विद्वान पेरोकार सरकार द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर [illegible] अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. अपील मीमों के मद नं. 05 में कथन किया गया है [illegible] मृतक धनीराम के वारिसान धनीराम की बहन गुलकन्दी व [illegible] है।" तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2015 में बताया गया है कि मृतक धनीराम के घर–परिवार में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वारिस नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना साक्ष्य के अवसर प्रदान किये पारित किया है, जो विधिसंगत नहीं है। इसलिए प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 05/2015, निर्णय दिनांक 18.05.2015 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि संगत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के यहां दिनांक 30.11.2021 को उपस्थित होवे।

9. निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.10.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner